अतिरिक्त न्यायालय, वाराणसी।

परिवाद सख्या : 419/2020

<u>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेन्स बैंक लि० बनाम राकेश कुमार केशरी</u>

<u>दिनांक:09-09-2023</u>

आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

परिवादी की ओर से धारा 257 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि, अभियुक्त ने चेक धनराशि परिवादी को प्रदान कर दिया है। अब परिवादी को अभियुक्त से कुछ भी धनराशि प्राप्त करना शेष नहीं है। परिवादी को परिवाद वापस लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

परिवाद वापस लिये जाने हेतु अनुज्ञा प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

परिवादी को परिवाद वापस लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है। अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो।

(सूर्य कुमार सिंह)
पीठासीन अधिकारी
अतिरिक्त न्यायालय वाराणसी।

मतलूब अली
आशुलिपिक